अनुदान संख्या 53 - चंडीगढ़
GRANT No. 53 - CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*444,81,00*	*511,36,00*	*478,64,44*	*-32,71,56*
पूरक	*Supplementary*	*66,55,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*31,70,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4920,26,00	5504,06,00	5497,66,75	-6,39,25
पूरक	Supplementary	583,80,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*50,00,00*	*50,00,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	672,03,00	712,12,00	612,96,44	-99,15,56
पूरक	Supplementary	40,09,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				99,09,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* हिस्से में, कुल बचतें (*₹ 3271.56 लाख*) दिसंबर, 2023 में प्राप्त *₹ 6655.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 49 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 6 प्रतिशत थी।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 3271.56 lakhs*) constituted 49 percent of the supplementary *appropriation* of *₹ 6655.00 lakhs* obtained in December, 2023 and constituted 6 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	*Administration of Justice*				
मू.	*O.*	*44161.00*			
पू.	*S.*	*6655.00*	*47756.00*	*47664.44*	*-91.56*
पु.	*R.*	*-3060.00*			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹ 10.00 लाख* का *विनियोग* पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹ 10.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

(II) "उच्च न्यायालय – स्थापना" के अंतर्गत – *₹ 44161.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹ 6655.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके *₹50816.00 लाख* तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, वस्तु शीर्ष वेतन के स्थान पर वस्तु शीर्ष भत्तों के तहत विशेष वेतन, सचिवालय वेतन और अतिरिक्त वेतन की गलत बुकिंग के कारण *₹3151.56 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(II) Under "High Courts - Establishment" - the original *appropriation* of *₹ 44161.00 lakhs* was augmented to *₹ 50816.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹ 6655.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹3151.56 lakhs* - due to wrong booking of special pay, secretariat pay and additional pay under object head allowances instead of object head salaries.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुईं/हुएः–

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	64838.00			
पू.	S.	7446.00	71605.19	71596.19	-9.00
पु.	R.	-678.81			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	16513.00			
पू.	S.	2813.00	18750.04	18740.47	-9.57
पु.	R.	-575.96			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	80063.00			
पू.	S.	1605.00	83262.44	83253.37	-9.07
पु.	R.	1594.44			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	57960.00			
पू.	S.	10111.00	67690.85	67212.60	-478.25
पु.	R.	-380.15			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	6741.00			
पू.	S.	1088.00	7335.77	7335.49	-0.28
पु.	R.	-493.23			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	3705.00			
			4705.81	4704.46	-1.35
पु.	R.	1000.81			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “2801”	Major Head “2801”				
विद्युत	Power				
मू.	O.	90604.00			
पू.	S.	20413.00	111612.26	111611.97	-0.29
पु.	R.	595.26			
मुख्य शीर्ष “2810”	Major Head “2810”				
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy				
मू.	O.	2561.00			
पू.	S.	200.00	2040.81	2040.74	-0.07
पु.	R.	-720.19			
मुख्य शीर्ष “2852”	Major Head “2852”				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	1500.00			
			3.98	3.97	-0.01
पु.	R.	-1496.02			
मुख्य शीर्ष “3055”	Major Head “3055”				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	32422.00			
पू.	S.	6123.00	38545.50	38544.81	-0.69
पु.	R.	0.50			

(I) ₹1172.30 लाख का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के तहत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया; इसमें से ₹1000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष “2852” – “सामान्य – निदेशन और प्रशासन – निर्यात योजना” के अंतर्गत नीतिगत दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1172.30 lakhs remained wholly unutilized under nineteen heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head “2852” - “General - Direction and Administration - Export Plan” - due to non-finalisation of policy guidelines.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, दिसम्बर, 2023 में प्राप्त पूरक अनुदान पूर्णतः अप्रयुक्त रहीं, जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शाया गया हैः–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" – "विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा – सरकारी कॉलेज तथा संस्थान – कला तथा विज्ञान कॉलेज" – के अंतर्गत ₹12115.22 लाख के मूल प्रावधान को ₹705.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12820.22 लाख कर दिया गया। तथापि, यूजीसी वेतन आयोग के बकाया का भुगतान न होने के कारण ₹1031.37 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई जिसका भुगतान वेतन शीर्ष से किया गया।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" – "लोक स्वास्थ्य – निदेशन और प्रशासन – स्थापना" – ₹1336.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹202.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1538.50 लाख कर दिया गया। तथापि, रिक्त पदों को न भरने के कारण ₹258.36 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त पूरक अनुदानें, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रह गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2055" – "पुलिस बल का आधुनिकीकरण – भारतीय रिजर्व बटालियन" – ₹946.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹8587.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹9533.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो कि, तथापि, ₹228.79 लाख की सीमा तक – कम छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति, पुलिस अस्पताल में हथियार और गोला–बारूद, दवाओं और सर्जिकल वस्तुओं की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – एलोपैथी – राजकीय चिकित्सा कॉलेज" – ₹36017.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8610.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹44627.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जोकि, तथापि, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार भत्ते

(II) Supplementary grants obtained in December, 2023 under the following major heads remained wholly unutillsed as shown against each:-

(A) Major Head "2202" - "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Arts and Science Colleges" - the original provision of ₹12115.22 lakhs was augmented to ₹12820.22 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹705.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1031.37 lakhs (including supplementary grant) - due to non-payment of UGC Pay Commission arrear which was paid from the salaries head.

(B) Major Head "2210" - "Public Health - Direction and Administration - Establishment" - the original provision of ₹1336.50 lakhs was augmented to ₹1538.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹202.00 lakhs. However, there was a saving of ₹258.36 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(III) Supplementary grants obtained in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2055" - "Modernisation of Police Force - Indian Reserve Battalion" - the original provision of ₹8587.00 lakhs was augmented to ₹9533.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹946.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹228.79 lakhs -due to receipt of less leave travel concession claims, delay in finalization of proposal for purchase of arms and ammunition, medicines and surgical items in police hospital.

(B) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government Medical College" - the original provision of ₹36017.00 lakhs was augmented to ₹44627.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8610.00 lakhs

के तहत कम खर्च और कम बिजली और पानी के बिलों की प्राप्ति के कारण ₹592.33 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

which, however, remained unutilised to the extent of ₹592.33 lakhs - due to less expenses under allowances as per 7th Central Pay Commission and receipt of less electricity and water bills.

(गा) मुख्य शीर्ष "2215" – "जलापूर्ति – शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम – अन्य योजनाएँ" – ₹870.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹905.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1775.00 लाख किया गया, जो कि, विभिन्न सरकारी भवनों के नवीनीकरण और रखरखाव के लिए कम धनराशि की आवश्यकता और कम बिजली बिल प्राप्त होने के कारण ₹703.32 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(C) Major Head "2215" - "Water Supply - Urban Water Supply Programmes - Other Schemes" - the original provision of ₹870.00 lakhs was augmented to ₹1775.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹905.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹703.32 lakhs - due to requirement of less funds towards renovation and maintenance of various Government buildings and receipt of less electricity bills.

(घा) मुख्य शीर्ष "2801" – "संचरण एवं वितरण – उचंत–स्टॉक" – ₹400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके मूल प्रावधान ₹800.00 लाख को बढ़ाकर ₹1200.00 लाख कर दिया गया, जो कि, तथापि, स्टोर सामग्री की कम खरीद के कारण ₹146.37 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(D) Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Suspense - Stock" - the original provision of ₹800.00 lakhs was augmented to ₹1200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹146.37 lakhs - due to less procurement of store material.

(ड.) मुख्य शीर्ष "3055" –

(क) "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम – संचालन" – ₹5486.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹28765.50 लाख के मूल प्रावधान को बढ़ाकर ₹34251.50 लाख कर दिया गया, जोकि, तथापि, इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में वृद्धि और कंडक्टरों की भर्ती में देरी की वजह से कम ईंधन बिल प्राप्त होने के कारण ₹865.58 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – विश्व बैंक प्रायोजित परियोजना" – ₹204.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹709.00 लाख के मूल प्रावधान को बढ़ाकर ₹913.00 लाख कर दिया गया, जो कि, तथापि, राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड के कार्यान्वयन न होने के कारण ₹128.07 लाख की

(E) Major Head "3055" -

(a) "Chandigarh Transport Undertaking - Operation" - the original provision of ₹28765.50 lakhs was augmented to ₹34251.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5486.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹865.58 lakhs - due to receipt of less fuel bills owing to increase in fleet of electric buses and delay in hiring of conductors.

(b) "International Co-operation - World Bank Sponsored Project" - the original provision of ₹709.00 lakhs was augmented to ₹913.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹204.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹128.07 lakhs -

सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(IV) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – रखरखाव और मरम्मत – स्थापना" के अंतर्गत – ₹882.17 लाख की बचत (₹4351.44 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों द्वारा ली गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – कर्मचारी राज्य बीमा योजना – कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय" – ₹635.92 लाख की बचत (₹1043.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और दवाइयों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2810" – "ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा – प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी" के अंतर्गत ₹717.64 लाख की बचत (₹1051.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता और कम बिजली दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1742.44 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थी।

3.(I) उपर्युक्त बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आशिंक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – निदेशन और प्रशासन – प्राथमिक विद्यालय" – ₹2351.08 लाख का अधिक व्यय (₹24810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया और आउटसोर्स कर्मचारियों के बढ़े हुए जिला कलेक्टर दरों/मजदूरी के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

due to non-implementation of National Common Mobility Card.

(IV) Under Major Head "2059" - "General - Maintenance and Repairs - Establishment" - saving of ₹882.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4351.44 lakhs) was due to Voluntary Retirement Scheme taken by the employees.

(V) Under Major Head "2210" - "Urban Health Services - Allopathy - Employees State Insurance Scheme - Employees State Insurance Dispensary" - saving of ₹635.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1043.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less purchase of medicines.

(VI) Under Major Head "2810" - "Renewable Energy for Rural Applications - Demonstration and Technology" - saving of ₹717.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1051.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and receipt of less electricity claims.

(VII) Under four heads savings of ₹1742.44 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 31 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Direction and Administration - Primary Schools" - excess of ₹2351.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24810.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of 7th Central Pay Commission arrears and enhanced District Collector rates/wages of outsourced staff.

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक विद्यालय – माध्यमिक विद्यालय" – ₹661.75 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹900.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹19110.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जेबीटी, एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन का भुगतान और जिला कलेक्टर दरों में वृद्धि के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Secondary Education - Government Secondary Schools - Secondary Schools" - excess of ₹661.75 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19110.00 lakhs including supplementary grant of ₹900.00 lakhs obtained in December, 2023) was due to requirement of additional funds towards payment of 7th Central Pay Commission arrears for recruitment of JBT, NTT teachers, payment of wages to outsourced staff and enhanced District Collector rates.

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल और औषधालय – जनरल अस्पताल, चंडीगढ़" – ₹504.28 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹1045.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹12155.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया भुगतान, जिला कलेक्टर दरों में वृद्धि और आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Major Head "2210" - "Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries - General Hospital, Chandigarh" - excess of ₹504.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12155.50 lakhs including supplementary grant of ₹1045.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024) was due to requirement of additional funds towards payment of 7th Central Pay Commission arrears, enhanced District Collector rates and purchase of essential drugs.

(गा) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल आवास – रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" – ₹1027.80 लाख का अधिक व्यय (₹3074.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न आवासीय भवनों के नवीनीकरण और रखरखाव, बढ़ी हुई जिला कलेक्टर दरों के भुगतान और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(C) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹1027.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3074.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards renovation and maintenance of various residential buildings, payment of enhanced District Collector rates and wages of outsourced staff.

(घा) मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण – चंडीगढ़ में बिजली का पारेषण और वितरण – बिजली का वितरण" – ₹741.34 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹20013.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹109817.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया भुगतान, डीए दरों में वृद्धि और विभिन्न विद्युत उपकरणों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(D) Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - excess of ₹741.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹109817.00 lakhs including supplementary grant of ₹20013.00 lakhs obtained in December, 2023) was due to requirement of additional funds towards payment of 7th Central Pay Commission arrears, increase in DA rates and maintenance of various electrical equipments.

(ङ.) मुख्य शीर्ष "3055" – "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम – प्रबंधन" – ₹651.55 लाख का अधिक व्यय (₹995.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीएसटी, ब्याज दंड, फास्ट टैग और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(E) Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Management" - excess of ₹651.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹995.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of GST, interest penalty, fast tag and 7th Central Pay Commission arrears.

(II) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1274.02 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 38 प्रतिशत था।

(II) Under four heads excess of ₹1274.02 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 14 percent to 38 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹9915.56 लाख) दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹4009.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹9915.56 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹4009.00 lakhs obtained in December, 2023 and constituted 14 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	9482.00			
पू.	S.	4000.00	9688.74	9688.23	-0.51
पु.	R.	-3793.26			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	6203.00	4018.78	4018.51	-0.27
पु.	R.	-2184.22			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture				
मू.	O.	11950.00			
पू.	S.	1.00	11686.80	11684.79	-2.01
पु.	R.	-264.20			
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	6952.00			
पू.	S.	1.00	8058.72	8058.15	-0.57
पु.	R.	1105.72			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	10363.00			
पू.	S.	1.00	11731.65	11731.61	-0.04
पु.	R.	1367.65			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	1654.00			
			1149.00	1149.00	..
पु.	R.	-505.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	1423.00	336.34	336.33	-0.01
पु.	R.	-1086.66			
मुख्य शीर्ष "6215" जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	Major Head "6215" Loans for Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	6800.00	1000.00	1000.00	..
पु.	R.	-5800.00			

(I) ₹1021.10 का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹1000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "5452" – "पर्यटक अवसंरचना – पर्यटक केंद्र – बेअंत सिंह स्मारक" के अंतर्गत योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1021.10 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Centre - Beant Singh Memorial" - due to non-finalization of scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" – "राज्य पुलिस – अन्य संबद्ध कार्य" के अंतर्गत – ₹5471.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹9471.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, मौली जागरां और आईटी पार्क, चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन की योजना में परिवर्तन और डेस्कटॉप कम्प्यूटरों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण ₹2497.77 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4055" - "State Police - Other Allied Works" - the original provision of ₹5471.00 lakhs was augmented to ₹9471.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2497.77 lakhs - due to change in plan of Police Station at Mauli Jagran and IT Park, Chandigarh and less procurement of desktop computers.

(III) मुख्य शीर्ष "4055" – "पुलिस आवास–भवन" के अंतर्गत ₹1296.00 लाख की बचत (₹4011.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 144 टाइप–II आवासों के निर्माण एवं

(III) Under Major Head "4055" - "Police Housing - Building" - saving of ₹1296.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4011.00 lakhs) was due to

नवीनीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – न्याय प्रशासन" के अंतर्गत ₹1970.02 लाख की बचत (₹5625.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेक्टर–43 चंडीगढ़ में बहु–स्तरीय पार्किंग के लेआउट में परिवर्तन और कम आईटी उपकरणों की खरीद के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "4202" – "तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग तकनीकी कॉलेज और संस्थान – पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़" के अंतर्गत – ₹1487.99 लाख की बचत (₹3410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में विंदया छात्रावास के निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "4801" – "पारेषण और वितरण – चंडीगढ़ में बिजली का पारेषण और वितरण – बिजली का वितरण" के अंतर्गत – ₹505.00 लाख की बचत (₹1654.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली केबलों को भूमिगत करने से संबंधित सिविल कार्यों के कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "6215" – "जलापूर्ति– शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम – 24×7 जल आपूर्ति संपूर्ण शहर चंडीगढ़" के अंतर्गत – ₹5800.00 लाख की बचत (₹6800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹977.91 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थी।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4077.83 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसम्बर, 2023 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते

non-receipt of administrative approval for construction of 144 Type-II houses and renovation work.

(IV) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Administration of Justice" - saving of ₹1970.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5625.90 lakhs) was due to change in layout of multi-level parking at Sector- 43 Chandigarh and procurement of less IT equipments.

(V) Under Major Head "4202" - "Technical Education - Engineering Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College, Chandigarh" - saving of ₹1487.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3410.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for Construction of Vindya Hostel at Punjab Engineering College.

(VI) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - saving of ₹505.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1654.00 lakhs) was due to non-implementation of civil works related to undergrounding of Power Cables.

(VII) Under Major Head "6215" - "Water Supply - Urban Water Supply Programmes - 24×7 Water Supply Pan City Chandigarh" - saving of ₹5800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6800.00 lakhs) was due to non-finalization of scheme.

(VIII) Under three heads savings of ₹977.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 50 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

5.(I) The above savings were partly (₹4077.83 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00

समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:—

(का) मुख्य शीर्ष "4202" —

(क) "सामान्य शिक्षा — माध्यमिक शिक्षा — भवन" — ₹439.96 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹439.94 लाख था।

(ख) "खेल और युवा सेवाएं — खेल स्टेडियम — भवन" — ₹579.61 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹579.48 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "4210" — "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान — एलोपैथी — सरकारी चिकित्सा कॉलेज/500 बिस्तर वाला दूसरा जनरल अस्पताल सेक्टर 32, चंडीगढ़" — ₹1136.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1136.49 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "4217" — "राज्य पूंजीगत विकास — निर्माण — अन्य योजनाएं" — ₹1423.84 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1423.82 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष "4235" — "सामाजिक कल्याण — बाल कल्याण — मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए भवन" — ₹497.92 लाख।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹972.66 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत और 33 प्रतिशत था।

lakhs in December, 2023 under the following major heads:-

(A) Major Head "4202" -

(a) "General Education - Secondary Education - Building" - ₹439.96 lakhs. Actual excess, however, was ₹439.94 lakhs.

(b) "Sports and Youth Services - Sports Stadia - Building" - ₹579.61 lakhs. Actual excess, however, was ₹579.48 lakhs.

(B) Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector 32, Chandigarh" - ₹1136.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹1136.49 lakhs.

(C) Major Head "4217" - "State Capital Development - Construction - Other Schemes" - ₹1423.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹1423.82 lakhs.

(D) Major Head "4235" - "Social Welfare - Child Welfare - Building for Mentally Retarded Children" - ₹497.92 lakhs.

(II) Under two heads excess of ₹972.66 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent and 33 percent of the sanctioned provision.